

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

कुषाभाउ ठाकरे तरणताल ,स्वीमिंग पुलद्ध आज से होगा पुनः प्रारंभ
रतलाम 13 अप्रैल । सिविक सेंटर स्थित कुषाभाउ ठाकरे तरणताल नागरिकों के
तैराकी हेतु आज 14 अप्रैल गुरुवार को सांय 6 बजे विधायक रतलाम षहर माननीय
श्री चेतन्य जी काष्यप की उपस्थिति में पुनः प्रारंभ किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि सिविक सेंटर स्थित कुषाभाउ
ठाकरे तरणताल कोरोना के चलते 2 वर्षों से बंद था आज विधायक रतलाम षहर
माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप की उपस्थिति में पुनः प्रारंभ करते हुए सीमित
मात्रा में नागरिकों को सांय 6 से 10 बजे तक निर्धारित षुल्क पर प्रवेश दिया
जायेगा।

तीन दिवसीय बरवड़ हनुमान मेले का आज होगा षुभारंभ

रतलाम 13 अप्रैल । नगर निगम द्वारा 14 से 16 अप्रैल तक आयोजित तीन
दिवसीय बरवड़ मेले का षुभारंभ आज 14 अप्रैल गुरुवार को बरबड़ हनुमान मंदिर
पर सांय 6:30 बजे विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप के
मुख्य आतिथ्ये जनप्रतिनिधियों व निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों की
उपस्थिति में विधिवत् पूजा.अर्चना के साथ होगा।

निगम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बरबड़ हनुमान मेले में 14 अप्रैल गुरुवार को
सांय 6:30 बजे सुन्दरकाण्ड के साथ मेला षुभारंभए 15 अप्रैल षुक्रवार को रात्रि
07:30 बजे खाटू ष्याम की भजन संध्या तथा मेले के अंतिम दिन 16 अप्रैल
षनिवार को आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि मेला षुभारंभ में
अधिकाधिक की संख्या में उपस्थित रहकर षुभारंभ कार्यक्रम को सफल बनावें।

तीन पेयजल टंकियों से होने वाले जलप्रदाय के समय में परिवर्तन

रतलाम 13 अप्रैल । गंगासागर टंकीए ग्लोबस टंकी व गांधी नगर टंकी पुरी तरह से नहीं भरे जाने से प्रतिदिन 4 से 5 घन्टे देरी से हो रहे जलप्रदाय को नियमित किये जाने हेतु एक दिवस का ब्रेक दिया जाकर अगले दिवस निर्धारित समय पर पेयजल सप्लाय की जायेगी।

गंगा सागर टंकी से जवाहर नगर ए व बी कालोनीए सखवाल नगरए नयागांव राजगढ़ए टैगोर कॉलोनीए अलकापुरीए राजीव नगरए महेश नगरए बाबा स्कूल वाली लाईनए इन्द्रलोक नगर संपूर्णए पुरानी ग्लोबस कालोनीए गोकुल धाम कालोनीए अम्बिका नगरए गोपाल नगर आदि क्षेत्रए ग्लोबस टंकी से शिव नगर मेन रोडए शिव नगर झुग्गी बस्तीए सर्वोदय नगरए दरगाह वाली गलीए अंबिका नगर गैस गोडाउनए रामनगरए श्रद्धा नगरए विनोबा नगर झुग्गी बस्तीए शिव शक्ति नगरए भवानी नगरए कोमल नगरए निराला नगर आदि क्षेत्र में 14 अप्रैल को किये जाना वाला जलप्रदाय 15 अप्रैल को प्रातः 7 बजे निर्धारित समय पर किया जायेगा।

गंगासागर टंकी से इंदिरा नगर इंदिरा नगर टीआईटी बिल्डिंगए जवाहर नगर सी कॉलोनीए हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के आस.पास की कॉलोनीए वरदान नगरए लक्ष्मणपुराए रिटायर्ड कॉलोनीए न्यू ग्लोबसए क्रिष्चियन कॉलोनीए पूनम विहार कालोनी आदि क्षेत्रए ग्लोबस टंकी से कोमल नगरए महेश नगरए निराला नगरए गणेश नगरए पहलवान की चालए नयागांवए अपूर्वा नगरए लोक कल्याण नगर आदि क्षेत्र व गांधी नगर टंकी से संपूर्ण गांधी नगर 15 अप्रैल को किये जाना वाला जलप्रदाय 16 अप्रैल को प्रातः 7 बजे निर्धारित समय पर किया जायेगा।

नॉन स्लम के 2240 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों में से 663 हितग्राहियों ने फ्लेट हेतु जमा कराये 4⁷⁷ करोड़

रतलाम 13 अप्रैल । नॉन स्लम क्षेत्र के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु पूर्व में आमंत्रित आवेदनों में से पात्र पाये गये 2240 हितग्राहियों से पंजीयन राशि जमा कराये जाने हेतु नगर पालिक निगम

द्वारा संबंधितों को सूचना पत्र ए प्रेस विज्ञप्ति ए समाचार जारी कर व एलान उद्घोषणा करवाये जाने के तहत 5 से 13 अप्रैल तक 78 हितग्राहियों ने हितग्राही का संपूर्ण अंशदान 3550000 करवाते हुए 2 करोड़ 73 लाख व 585 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही अंशदान का 10 प्रतिशत 350000 जमा करवाते हुए 20475000 की राशि जमा करवाई इस प्रकार कुल 4 करोड़ 77 लाख 75 हजार की राशि जमा कराई। नॉन स्लम के पात्र हितग्राही अंशदान की संपूर्ण राशि रूपये 350 लाख रूपये ऑन लाईन व ऑफ लाईन पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन रोड पर प्रातः 10 से सांय 4:30 के मध्य जमा करा सकते हैं। 2240 हितग्राहियों में से 78 हितग्राहियों द्वारा अंशदान की संपूर्ण राशि व 585 हितग्राहियों द्वारा अंशदान का 10 प्रतिशत 350000 की राशि जमा कराई गई है बेश 90 प्रतिशत राशि 3150000 तत्काल जमा कराये जाने पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाकर रजिस्ट्री करवाई जायेगी जिसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा।

13 अप्रैल बुधवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 254 ट्रीप

111 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 13 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 13 अप्रैल सोमवार को 111 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

13 अप्रैल सोमवार को डम्पर से 29230 किलोए टे^०क्टर से 10975 किलोए मैजिक सूखा कचरा 45530 किलोए मैजिक गीला कचरा 25365 किलो इस तरह कुल 111100 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 10^{ए26} लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 13 अप्रैल । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 13 अप्रैल बुधवार को कुल राशि रूपये 10^{ए26}ए519^ए का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 13 अप्रैल बुधवार को संपत्तिकर कार्यालय 305073^ए वसूली दल 140000 कुल 445073^ए जलकर कार्यालय से 453660^ए वसूली दल 71210 कुल 524870^ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 21153^ए वसूली दल 18341 कुल 39494^ए स्पॉट फाईन 9750^ए लायसेंस 1500^ए लीजरेंट 5832 इस तरह कुल राशि रूपये 10^{ए26}ए519^ए का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

षिवानी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट सील

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 13 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैंए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 13 अप्रैल बुधवार को 8 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया व षिवानी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट को सील किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रौनक मूणत पर 3000^ए सुरेशए भूपेन्द्रए मणीलालए षिवराजए नीलेश माहेष्वरी पर 500.500^ए आनन्द रेस्टोरेंट पर 250 व खुले में यूरिन करने पर नन्दलाल पर 1000 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

14 अप्रैल को पशु वध करना मटन विक्रय प्रतिबंधित रहेगा

रतलाम 13 अप्रैल । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 14 अप्रैल गुरुवार महावीर जयंती पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना मटन गौषत विक्रय करना अथवा बेचना निशेध किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौषत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

20 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त रतलाम 13 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 16 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

13 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 में रामकन्या पति अर्जुन अजय.विनोद ए बादल.दिलीप ए उमेश.प्रहलाद ए विजय.फुलचन्द ए झोन क्रमांक 2 में राहूल.राजू ए प्रदीप. सुल्तान ए कमल.सुल्तान ए विमलाबाई पति बंशी ए संजय.शिव ए विषाल.कैलाश ए झोन क्रमांक 3 में मधुबाई.बाबुलाल ए अर्जुन.छगन ए सावन.जगदीश ए झोन क्रमांक 4 में विजय.प्रकाश ए भैय्यन.कालू ए दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में निलेश.महेश ए

झोन क्रमांक 2 में दयाराम.मुंषीए झोन क्रमांक 4 में मिनाक्षी.योगेश सुनिताबाई पति शिवलाल इस तरह 20 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त धनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त धनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 17 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 13 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 12 अप्रैल मंगलवार को निरीक्षण किये जाने पर 17 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

12 अप्रैल मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान विनोद. हीरालालए हिमाचल.ईश्वरए नवीन.फिरोजए आकाश शिन्देए मनोज झांझोटए पवन झांझोटए राकेश ललावतए राजा.कैलाशए सन्नी.मुकेशए दीपक.पुनमचन्दए रघु.कन्हैयाए गौरव.राजेन्द्रए संदीप.संजयए महेश.मिडूए चंचल.बसंतीलालए संतोश.प्रभुदयाल व आनन्द.बाबुलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 13 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 13 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में

निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2^ण के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 13 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचनापत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 13 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10₹000₹. तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20₹000₹. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गली सार्वजनिक स्थल नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ज्येष्ठ संविधान मन्त 13/04/2022 न.पा.निगम रतलाम